



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 भाद्र 1940 (श0)

(सं0 पटना 835) पटना, सोमवार, 10 सितम्बर 2018

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

10 सितम्बर 2018

एस० ओ० 233, दिनांक 10 सितम्बर 2018— बिहार राज्यपाल, बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और—

- (i) अधिसूचना सं. एस.ओ. 290 दिनांक 16 नवंबर, 2017, जो बिहार गजट असाधारण अंक में संख्या 1084 दिनांक 16 नवंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी ;
- (ii) अधिसूचना सं. एस.ओ. 163 दिनांक 03 अप्रैल, 2018, जो बिहार गजट असाधारण अंक में संख्या 294 दिनांक 03 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी ;
- (iii) अधिसूचना सं. एस.ओ. 224 दिनांक 10 अगस्त, 2018, जो बिहार गजट असाधारण अंक में संख्या 769 दिनांक 10 अगस्त, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी ,

को सिवाय उन बातों के, जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई थी या करने का लोप किया गया था, अधिक्रांत करते हुए और परिषद् की सिफारिशों पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, जिनका पूर्ववर्ती वित्त वर्ष या चालू वित्त वर्ष में 1.5 करोड़ रुपये तक समग्र आवर्त है, को ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करते हैं, जो नीचे यथा वर्णित प्रक्रिया का माल या सेवा या दोनों की जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए अनुसरण करेंगे ।

2. उक्त व्यक्ति माल या सेवा या दोनों की जावक पूर्ति, जो नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट तिमाही के दौरान उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट समयावधि तक की गई है, के ब्यौरों को बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के प्ररूप

जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत कर सकेंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	तिमाही, जिसके लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत किए जाते हैं	प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए समयावधि
(1)	(2)	(3)
1.	जुलाई-सितंबर, 2017	31 अक्तूबर, 2018
2.	अक्तूबर-दिसंबर, 2017	31 अक्तूबर, 2018
3.	जनवरी-मार्च, 2018	31 अक्तूबर, 2018
4.	अप्रैल-जून, 2018	31 अक्तूबर, 2018
5.	जुलाई-सितंबर, 2018	31 अक्तूबर, 2018
6.	अक्तूबर-दिसंबर, 2018	31 जनवरी, 2019
7.	जनवरी-मार्च, 2019	30 अप्रैल, 2019

परंतु माल या सेवा या दोनों की जुलाई, 2018 से सितंबर, 2018 की तिमाही के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक पूर्ति के ब्यौरे—(i) केरल राज्य में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा ; (ii) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका कारबार का मूल स्थान कर्नाटक राज्य में कोडागु जिले में है ; और (iii) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका कारबार का मूल स्थान पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र के माहे में है, इलैक्ट्रानिकी रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से 15 नवंबर, 2018 को या उससे पूर्व प्रस्तुत किए जाएंगे :

परंतु यह और कि माल या सेवा या दोनों की जुलाई, 2017 से सितंबर, 2018 की तिमाही के लिए करदाताओं द्वारा, जिन्होंने अधिसूचना सं. एस.ओ. 221 दिनांक 06 अगस्त, 2018, जो बिहार गजट असाधारण अंक में संख्या 754 दिनांक 06 अगस्त, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी, के निबंधनों में माल और सेवा कर पहचान सं. (जीएसटीआईएन) अभिप्राप्त कर ली है, द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक पूर्ति के ब्यौरों को इलैक्ट्रानिकी रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से 31 दिसंबर, 2018 को या उससे पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा ।

3. उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) और धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन जुलाई, 2017 से मार्च, 2019 के मास के लिए, यथास्थिति, ब्यौरों या विवरणी को प्रस्तुत करने की समय-सीमा पश्चातवर्ती रूप से राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी ।

4. यह अधिसूचना दिनांक 10 सितम्बर, 2018 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी ।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-3)-2619)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
प्रधान सचिव ।

10 सितम्बर 2018

एसओ 233 दिनांक 10 सितम्बर 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-3)-2619)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
प्रधान सचिव।

The 10th September 2018

S.O. 233, Date 10th September 2018— In exercise of the powers conferred by section 148 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), and in supercession of –

- (i) Notification No. S.O- 290 dated 16th November, 2017 published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 1084, dated the 16th November, 2017;
- (ii) Notification No. S.O- 163 dated 3rd April, 2018 published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 294, dated the 3rd April, 2018; and
- (iii) Notification No. S.O- 224 dated 10th August, 2018 published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 769, dated the 10th August, 2018,

except as respects things done or omitted to be done before such supercession, the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered persons having aggregate turnover of up to 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, as the class of registered persons who shall follow the special procedure as mentioned below for furnishing the details of outward supply of goods or services or both.

2.The said persons may furnish the details of outward supply of goods or services or both in **FORM GSTR-1** of the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, effected during the quarter as specified in column (2) of the Table below till the time period as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

Table

Sl. No.	Quarter for which details in FORM GSTR-1 are furnished	Time period for furnishing details in FORM GSTR-1
(1)	(2)	(3)
1	July - September, 2017	31 st October, 2018
2	October - December, 2017	31 st October, 2018
3	January - March, 2018	31 st October, 2018
4	April – June, 2018	31 st October, 2018
5	July - September, 2018	31 st October, 2018
6	October - December, 2018	31 st January, 2019
7	January - March, 2019	30 th April, 2019

Provided that the details of outward supply of goods or services or both in FORM GSTR-1 for the quarter from July, 2018 to September, 2018 by– (i) registered persons in the State of Kerala; (ii) registered persons whose principal place of business is in Kodagu district in the State of Karnataka; and (iii) registered persons whose principal place of business is in Mahe in the Union territory of Puducherry shall be furnished electronically through the common portal, on or before the 15th day of November, 2018:

Provided further that the details of outward supply of goods or services or both in **FORM GSTR-1** to be filed for the quarters from July, 2017 to September, 2018 by the taxpayers who have obtained Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN) in terms of notification No. S.O-221 dated 6th August, 2018 published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 754, dated the 6th August, 2018, shall be furnished electronically through the common portal, on or before the 31st day of December, 2018;

3. The time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of section 38 and sub-section (1) of section 39 of the said Act, for the months of July, 2017 to March, 2019 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

4. This notification shall come into force with effect from 10th September 2018.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-3)-2619)]

By the order of Governor of Bihar,
SUJATA CHATURVEDI,
Principal Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 835-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>